# न्यायालय राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्र.क्र. /14 निगरानी R-2834-I/14

रमेश पिता भेरूसिंह जाति पूर्विया राजपुत उम्र 47 वर्ष धन्धा कृषि निवासी ग्राम टिगरिया परगना मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर

........ निगरानीकर्ता

बनाम

मांगीलाल पिता देवीसिंह जाति भील उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम टिगरिया परगना मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर

.......... विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता विरूद्ध प्र.क्र.45अ–12/13–14 में किये गये सीमांकन से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

## प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षीगण ने एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार महोदय मो.बड़ोदिया के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य भूमि सर्वे क्र. 380 रकबा 0.56, सर्वे क्र. 391 रकबा 0.38 हे. एवं 675 रकबा 0.24 हैक्टर ग्राम टिगरिया में स्थित है उक्त भूमि का सीमांकन किया जावे। जिस पर से तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन हेतु आदेश पारित किया। तहसीलदार महोदय के आदेश के पालन में ग्राम पटवारी द्वारा दिनांक 04–06–2014 को विपक्षी की उक्त भूमि का सीमांकन किया जिसके द्वारा निगरानीकर्ता के आधिपत्य में विपक्षी की भुमि सर्वे क्र. 391 पर निगरानीकर्ता का आधिपत्य पाया उक्त सीमांकन दिनांक 04–06–2014 को किया गया जिससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी नियत अवधि में निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :–

## निगरानी के आधार

1. यह कि ग्राम पटवारी द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन किये जाने के पूर्व निगरानीकर्ता को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई इस प्रकार उसे बिना सूचना दिये जो सीमांकन किया गया वह अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि राजस्व निरीक्षक व पटवारी के द्वारा पड़ोसी कास्तकार की उपस्थिति में कोई सीमांकन नहीं किया गया और ना ही उनको सीमांकन की कोई सूचना दी गई इस कारण उक्त सीमांकन की कार्यवाही अवैध होने से निरस्त की जाने योग्य है।

3. यह कि उक्त सीमांकन में कोई फिल्डबुक तैयार नहीं की गई बिना फिल्डबुक

रमेश / मांगीलाल

XXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(54)

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 2834/I/14 जिला - श्योपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31/7/19 | आवेदक की ओर से यह निगरानी ......... अपर कलेक्टर ......... के प्रकरण क्रमांक 45/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 6.6.14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर श्योपुर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.10.19 को कलेक्टर श्योपुर के समक्ष उपस्थित हों।<br><br>(महेश चन्द्र चौधरी)<br>सदस्य | |